<u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 149 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांक :- 05 / 03 / 14</u> फाईलिंग नं. 233504002922014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्व

<u>-: (निर्णय) :-</u>

(आज दिनांक 27.10.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 25. 02.2014 को दोपहर करीब 02:00 बजे स्थान थाना आमला से 01 कि.मी. उत्तर में रतेड़ा रोड पुलिया के पास आमला में सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 15 इंच, मूठ की लंबाई 4½ इंच एवं फल की लंबाई 10½ तथा फल की चौड़ाई 1½ रखकर म. प्र. राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 25.02. 2014 को प्रधान आरक्षक बाबूलाल पवार को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रतेड़ा रोड पुलिया के पास अभियुक्त हाथ में छुरी लेकर आने जाने वाले व्यक्ति को डरा धमका रहा है जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा तथा अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा तथा उसके कब्जे से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 175/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.02.2014 को दोपहर करीब 02:00 बजे स्थान थाना आमला से 01 कि.मी. उत्तर में रतेड़ा रोड पुलिया के पास आमला में सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 15 इंच, मूठ की लंबाई $4\frac{1}{2}$ इंच एवं फल की लंबाई $10\frac{1}{2}$ तथा फल की चौड़ाई $1\frac{1}{2}$ रखकर म.प्र. राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 बाबूलाल पवार (अ.सा.—1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 25. 02.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं हमराह साक्षी के साथ रतेड़ा रोड पुलिया के पास पहुंचा तथा अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा एवं उसके कब्जे से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 175/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल ए को वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त की थी।
- 6 यादोराव (अ.सा.—2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उसके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।
- 7 साक्षी अशोक के अदम पता हो जाने से उसकी साक्ष्य अंकित नहीं की जा सकी है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.—2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर बाबूलाल पवार (अ.सा.—1) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी

2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

- 8 बाबूलाल पवार (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह सूचना मिलने पर रतेड़ा रोड पुलिया पर गया था। मौके पर अभियुक्त हाथ में छुरी लेकर लोगों को डरा रहा था जिसे हमराह स्टाफ और गवाहों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त की गयी। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि मौके पर मोटर सायिकल से गये थे। दो अलग—अलग मोटर सायिकल गयी थी। मौके पर जब पहुंचे तब अभियुक्त रोड पर हथियार लेकर हिला रहा था। मौके पर उपस्थित किसी व्यक्ति के कथन लेख नहीं किये।
- 9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—2) में अपराध कमांक पहले से लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) के अवलोकन से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से कथित आयुध जप्त कर मौके पर सीलबंद किया गया हो। साथ ही प्रकरण में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही साक्षी बाबूलाल पवार (अ.सा.—1) के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती के समय उसकी नापजोप किस चीज से की गयी। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 25.02.2014 को दोपहर करीब 02:00 बजे स्थान थाना आमला से 01 कि.मी. उत्तर में रतेड़ा रोड पुलिया के पास आमला में सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 15 इंच, मूठ की लंबाई $4\frac{1}{2}$ इंच एवं फल की लंबाई $10\frac{1}{2}$ तथा फल की चौड़ाई $1\frac{1}{2}$ रखकर म.प्र. राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त देवीसिंग को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)